

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 127/2013

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2012/पीएस-5/पीई-3

नई दिल्ली, दिनांक : 09.12.2013

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
चिरेका, डीरेका, सडिका सहित और
महानिदेशक/अअमासं

विषय : रेलवे विद्यालयों में कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों (प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) की भर्ती/पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता के मानकों में संशोधन।

संदर्भ: आईआरईएम, कॉल्यूम-I (संशोधित संस्करण, 1989) का पैरा सं. 178

रेल विद्यालयों में काम करने वाले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों और स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता बोर्ड कार्यालय के दिनांक 04.10.1989 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)I-87/पीएस-5/पीई-9 में निर्धारित की गई है जो इन कोटियों के शिक्षकों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संस्थान और दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं के अनुरूप हैं।

2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनटीईसी) ने दिनांक 23.08.2010 के राजपत्र अधिसूचना जिसे पुनः दिनांक 29.07.2011 के अपने राजपत्र अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया था, में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।

3. रेल मंत्रालय द्वारा कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताओं के बराबर मौजूदा योग्यताओं को अपडेट करने के मामले की जांच की गई है। यह विनिश्चय किया गया है कि इस पत्र के अनुलग्नक में दर्शाई गई योग्यताएं ओक ग्राव स्कूल, झारीपानी सहित रेलवे के स्कूलों में काम करने वाले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति के लिए लागू होंगी। न्यूनतम योग्यताओं से संबंधित ये संशोधित


मानक केवल रेलवे के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भावी पदोन्नति/भर्ती के लिए लागू होंगे। निर्धारित योग्यताएं सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों के लिए एक समान हैं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के मामले में उन अभ्यर्थियों को तरजीह दी जा सकती है जिनके पास पद के लिए निर्धारित योग्यताओं से अधिक योग्यता हो।

4. बोर्ड के दिनांक 04.10.1989 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)I-87/पीएस-5/पीई-9 में निर्धारित स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए मौजूदा न्यूनतम योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं है।

5. उपर्युक्त आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। यदि किसी चयन की प्रक्रिया पहले से आरंभ है तो उसे उसे पहले से जारी अधिसूचनाओं के आधार पर आयोजित किया जाएगा और अंतिम रूप दिया जाएगा।

6. कृपया इस पत्र की पावती दें।

संलग्नक: उपरोक्त।



(के. शंकर)

निदेशक स्था (पी एण्ड ए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2012/पीएस-5/पीई-3

नई दिल्ली, दिनांक : 09.12.2013

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।


(के. शंकर)

निदेशक स्था (पी एण्ड ए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2012/पीएस-5/पीई-3

नई दिल्ली, दिनांक : 09.12.2013

1. महासचिव, एनएफआईआर, (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एआईआरएफ, (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव/ कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
4. महासचिव, फ़ोआ।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इण्डियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड, क्लास-IV स्टॉफ एसोसिएशन।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, ग्राउण्ड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
13. महासचिव, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

आल

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

1. रेलवे विद्यालयों में अध्यापन से संबंधित पदों के लिए अर्हता

क. प्राथमिक अध्यापक (₹ 9300-34800 + 4200/4600/4800) {कक्षा I-V }:-

i. कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक की उपाधि (बी.ईएल.एड.)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्ष का डिप्लोमा।

अथवा

स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) ।

और

ii एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास।

ख. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (₹ 9300-34800 + 4600/4800/5400) {कक्षा VI-VIII }:-

i. स्नातक (अध्यापन विषय में) तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) ।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड।

अथवा

कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन के अनुसार 1 वर्ष की बी.एड।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक (बी.ईएल.एड.) की उपाधि।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और 4 वर्ष की बी.ए./बी.एस.सी. या बी.ए.एड. या बी.एससी.एड।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

और

ii. एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास।

और

iii. यथा अपेक्षित माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हो।

2. अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम:- केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा। बहरहाल, शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिप्लोमा और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के

मामले में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा।

3. दिया जाने वाला प्रशिक्षण:- कोई व्यक्ति जिसने-

(क) कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और बी.एड. योग्यता अथवा इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ बी.एड. की एक वर्ष की डिग्री हासिल की हो, वह भी 1 जनवरी, 2012 तक कक्षा I से V हेतु अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, परन्तु, उसे नियुक्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त 6 माह के विशेष प्रोग्राम में भाग लेना होगा।

(ख) डी.एड. (विशेष शिक्षा में) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले को नियुक्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त 6 माह के विशेष प्रोग्राम में भाग लेना होगा।

4. आरक्षण पॉलिसी:- आरक्षित कोटियों जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी।

5. इस आदेश की तारीख से पूर्व नियुक्त किए गए अध्यापक:- इस आदेश के जारी होने से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित कोटियों के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(क) एनसीटीई (विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता का निर्धारण) विनियमन, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अर्थात् जिस तिथि को यह विनियमन लागू हुआ, को अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक।

परन्तु, बी.एड. अर्हता प्राप्त अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा डी.एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता प्राप्त कक्षा I से V तक के अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त 6 माह के विशेष प्रोग्राम में भाग लेना होगा।

(ख) बी.एड. अर्हता प्राप्त कक्षा I से V तक के अध्यापक जिसने एनसीटीई द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष बेसिक अध्यापक पाठ्यक्रम (स्पेशल बीटीसी) पूरा किया हो।

(ग) ऐसा अध्यापक जिसे विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त किया गया हो।

6.(क) कतिपय मामलों में इस आदेश के जारी होने के बाद नियुक्त अध्यापक:- जहां किसी विद्यालय ने इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने का विज्ञापन जारी कर दिया हो, वहां ऐसी नियुक्तियां संबंधित पदों के लिए निर्धारित मौजूदा अर्हताओं के अनुसार की जाएं।

(ख) इस आदेश में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान आदि विषयों के अध्यापकों के लिए लागू होंगे। अन्य अध्यापकों जैसे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, वरिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापक, संगीत अध्यापक, नृत्य अध्यापक, शिल्पकला अध्यापक, ड्राइंग अध्यापक, डिमॉस्ट्रेटर, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक आदि के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के मानदण्ड अपरिवर्तित रहेंगे।

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**)

No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3

RBE No. 127/2013
New Delhi, Dated : 09.12.2013

The General Manager,
All Indian Railways,
Including C.L.W, D.L.W, I.C.F &
Director General/R.D.S.O.


Sub: Amendments in the norms of minimum qualifications for recruitment/promotion of teachers for classes I to VIII in Railway Schools (Primary and Trained Graduate Teachers).

Ref: Para No. 178 of IREM, Vol-I (Revised Edition 1989)


The minimum qualifications for recruitment/promotion of Primary School Teachers, Trained Graduate Teachers and Post Graduate Teachers working in Railway Schools have been laid down in Board's letter No. E(P&A)I-87/PS-5/PE-9 dated 04.10.1989, which are in line with those laid down by Kendriya Vidyalaya Sangathan and Delhi Administration for these categories of teachers.

2. National Teachers Education Council (NTEC) vide the Gazette Notification dated 23.08.2010, which was further amended vide its Gazette Notification dated 29.07.2011 has laid down the minimum qualifications for recruitment/promotion of teachers for classes I to VIII under the Right of Children to free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009.
3. The issue of updating the existing qualifications at par with those laid down by NCTE for recruitment/promotion of teachers for classes I to VIII has been examined by Ministry of Railways. It has been decided that the qualifications as indicated in the Annexure to this letter will be applicable for recruitment/promotion of Primary School Teachers and Trained Graduate Teachers working in railway schools including Oak Grove School, Jharipani. These revised norms of minimum qualifications will be applicable for future promotion/recruitment of Railway's Primary School Teachers and Trained Graduate Teachers only. The qualifications prescribed are the same for both direct recruitment as well as promotion. As per the existing instructions, preference may be given, in case of direct recruitment to candidates possessing qualifications higher than those prescribed for the post.
4. There is no change in the existing minimum qualification for PGT as laid down in Board's letter No. E(P&A)I-87/PS-5/PE-9 dated 04.10.1989.
5. The above orders will take effect from the date of issue of this letter. Any selections already initiated would be conducted and finalized based on the notifications already issued.
6. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

DA: As above


(K. Shankar)
Director Estt.(P&A),
Railway Board

Copy to the FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


(K. Shankar)
Director Estt.(P&A),
Railway Board

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
4. The Secretary General FROA.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association, R.No.402, Rail Bhawan (with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officers' Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
14. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.


for Secretary, Railway Board.

Copy to : PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to :- MR, MSR(K),MSR(A),

CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), AM(Sig), AM(MS), AM(Staff), AM(Mech.), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), Adv(AR), Adv(CC)Adv(F), Adv(Safety), Adv(IR), DG/RHS, DG/RPF, Secretary., ED(Plg.), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Chg.), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg.), EDME(FR), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj.), ED(Proj.)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig.), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(C), JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DPC-I, DPC-II, DE(N), DF(A/Cs), DE(G), DPR, JDF(E), JDE(G), JDE(L), JDE(LL), JDE(W), JDF(B), JDE(N), JDE(Res.), DS(G), DS(Parl.), US(A), DDE(D&A), DDE(P&A)II, DDE(LR)I, DDF(E)I, II & III, DDE(R)I (with 2 spares), DDE(W), DDPC-VI, DDE(Trg.). PAO,

Branches : Accounts III (with 10 spares), Budget, Budget(Com)I, Cash- I, II, III, Chasing C&IS, E(P&A) II, ERB-I, II, III, IV, V & VI, E(LR)I/II/III, E(RRB), E(Rep)I, II, III, E(MPP), E(W), E(G), E(NG)I & II, E(Coop), E(LL), E(Sports), E(ML), E(SCT)I, II, E(D&A), E(GC), E(GR)I & II E(O) I, II, III & E(O)III(CC), , F(E)-I, II & III, F(E) Spl, G(Pass), G(Acc.), Issue(D), M(L), Parl.), PC-III, IV & V, PC-VI, Project Cell, PR, Sec.(E) & Sec.(ABE) Railway Board

(Authority NCTE's file No.61-1/2011/NCTE/N&S A41S63 dated 01.9.2011, Gazette Notification dated 23.08.2010 and Gazette Notification dated 29.07.2011)

1. QUALIFICATIONS FOR TEACHEING POSTS IN RAILWAY SCHOOLS

A. Primary Teachers (Rs. 9300-34800 + 4200/4600/4800) {Classes I - V} :-

i. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-years Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-years Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-years Diploma in Education (Special Education)

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND

ii. Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

B. Trained Graduate Teachers (Rs. 9300-34800 + 4600/4800/5400) {Classes VI - VIII} :-

i. Graduation (in the teaching subject) and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Graduation (in the teaching subject) with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

Graduation (in the teaching subject) with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-years B.A./B.Sc. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

OR

Graduation (in the teaching subject) with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education)

AND

ii. Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

AND

iii. Competence to teach through the medium/media as required.

2. Diploma/Degree Course in Teacher Education:- A Diploma/Degree course in teacher education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B.Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

3. Training to be undergone:- A person –

(a) With Graduation (in the teaching subject) with at least 50% marks and B.Ed. qualification or with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard, shall also be eligible for appointment to Class I to V up to 1st January, 2012, provided he/she undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education;

(b) With D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education.

4. Reservation Policy:- Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/OBC/PH.

5. Teacher appointed before the date of this Order:- The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this Order need not acquire the minimum qualification specified in Para (1) above;

(a) A teacher appointed on or after the 3rd September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B.Ed. qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed. (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6 – month special programme on elementary education.

(b) A teacher of class I to V with B.Ed qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE;

(c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.

6.(a) **Teacher appointed after the date of this order in certain cases:-** where a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this order, such appointments may be made in accordance with the existing qualifications prescribed for the respective posts.

(b) The minimum qualification norms referred to in this order apply to teachers of Languages, Social Studies, Mathematics, Science, etc. In respect of other teachers i.e. Sr. Physical Education Teacher, Sr. Domestic Science Teacher, Music Teacher, Dance Teacher, Craft Teacher, Drawing Teacher, Demonstrator, Librarian, Lab. Assistant etc., the minimum qualification norms shall remain unchanged.
